लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड और लोन अगेंस्ट शेयर्स के लिए फ्लेक्सी लोन की अनुसूची (शेड्यूल) / सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें

1.	**निष्पादन का स्थान**	नई दिल्ली (यह वह स्थान होगा जहाँ लेंडर/ऋणदाता ने लोन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं)
2.	**निष्पादन की तारीख**	वह तारीख होगी जिस दिन ऋणदाता ने इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं।
3.	**लोन का प्रकार**	सिक्योरिटीज को गिरवी रखकर **फ्लेक्सी लोन** - जैसे कि डीमैटरियलाइज्ड शेयर्स, **म्यूचुअल फंड** की यूनिट्स, बॉन्ड्स या लेंडर द्वारा तय की गई अन्य सिक्योरिटीज।
4.	**स्वीकृत लोन राशि**	**लोन राशि:** रु. _____ (रुपये मात्र / केवल) यह राशि, लोन की शर्तों का पालन करने पर, रिवॉल्विंग आधार पर निकासी (ड्रॉडाउन) के लिए उपलब्ध होगी। आपके लोन अकाउंट की निकासी सीमा की गणना, आपके पोर्टफोलियो में मौजूद उन स्वीकृत व मान्य सिक्योरिटीज के बाज़ार मूल्य पर मार्जिन लागू करने के बाद की जाती है, जिन्हें लेंडर के पास गिरवी रखा गया है / जिन पर लेंडर के पक्ष में चार्ज बनाया गया है। ऋणदाता समय-समय पर (दैनिक आधार सहित) आपके पोर्टफोलियो का पुनर्मूल्यांकन करेगा और आवश्यकता पड़ने पर निकासी सीमा में बदलाव करेगा। आप अपनी निकासी सीमा तक अपने फ्लेक्सी लोन का उपयोग कर सकते हैं, जो ऊपर दी गई अधिकतम स्वीकृत सीमा के दायरे में ही होगी।
5.	**उपलब्धता अवधि**	निष्पादन की तारीख से लेकर मैच्युरिटी की तारीख से 15 दिन पहले तक (जैसा कि नीचे दिए गए प्रावधानों के अनुसार इसे नवीनीकृत किया जा सकता है)।
6.	**उद्देश्य**	[•] (a) फ्लेक्सी लोन का उपयोग यहाँ बताए गए उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य काम के लिए नहीं किया जाएगा। इसका उपयोग गैर-कानूनी या असामाजिक गतिविधियों, ब्याज पर पैसा देने (साहूकारी/मनी लेंडिंग), सट्टेबाज़ी, रियल एस्टेट में सट्टेबाज़ी वाले निवेश, किसी अन्य को आगे लोन देने या सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स या शेयर बाज़ार में निवेश करने के लिए भी नहीं किया जाएगा। (b) यहाँ बताए गए फ्लेक्सी लोन की राशि के अंतिम उपयोग/उद्देश्य में फ्लेक्सी लोन की अवधि के दौरान किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। अंतिम उपयोग में कोई भी बदलाव केवल ऋणदाता की पूर्व लिखित अनुमति से ही किया जा सकेगा।

		(c) ऊपर दी गई प्रतिबद्धता का कोई भी उल्लंघन इस एग्रीमेंट के नियमों और शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में ऋणदाता मेरे/हमारे विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसे वह उचित समझे। इसमें शेष फ्लेक्सी लोन को रोकना या फ्लेक्सी लोन वापस मांगना भी शामिल है।
7.	**मैच्युरिटी की तारीख**	[●], जिसे उधारकर्ता के अनुरोध पर, ऋणदाता के पूर्ण और एकमात्र विवेकाधिकार के अनुसार संशोधित नियमों और शर्तों पर नवीनीकृत किया जा सकता है।
8.	**उपलब्धता अवधि**	लोन एग्रीमेंट की तारीख से लेकर मैच्युरिटी की तारीख से 15 दिन पहले तक (जैसा कि यहाँ दिए गए प्रावधानों के अनुसार इसे नवीनीकृत किया जा सकता है)।
9.	**ब्याज का प्रकार**	फिक्स्ड
10.	**ब्याज दर (ROI)**	
11.	**देय तारीख या ब्याज भुगतान की तारीख**	पिछले महीने के लिए प्रत्येक महीने की 5 तारीख को या उससे पहले ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जब तक कि ऋणदाता द्वारा अन्यथा सूचित न किया जाए।
12.	**लोन राशि का रीपेमेंट**	उधारकर्ता पूरी बकाया लोन राशि का भुगतान ऋणदाता को मैच्युरिटी की तारीख को या उससे पहले करेगा।
13.	**रीपेमेंट का माध्यम**	NACH / ENACH
14.	**मूलधन और ब्याज का विवरण**	कृपया की फैक्ट्स स्टेटमेंट में दिए गए रीपेमेंट शेड्यूल को देखें।
15.	**सैंक्शन लेटर**	तारीख:
16.	**सिक्योरिटीज**	ऋणदाता द्वारा समय-समय पर स्वीकृत डीमैटरियलाइज्ड लिस्टेड शेयर्स, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, बॉन्ड्स, व्यक्तिगत बीमा पॉलिसियों की यूनिट्स और अन्य सिक्योरिटीज को गिरवी रखा जाएगा। इसमें ऋणदाता द्वारा पहले स्वीकृत किसी सिक्योरिटी के बदले या उसके अतिरिक्त स्वीकार की गई कोई भी सिक्योरिटी शामिल होगी।
17.	**मार्जिन**	इक्विटी शेयर्स और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए न्यूनतम 50% (कम से कम 2 गुना) तथा अन्य सिक्योरिटीज के लिए PEL की आंतरिक नीतियों के अनुसार मार्जिन लागू होगा। ऋणदाता को मार्जिन और/या उसके द्वारा स्वीकृत एवं मान्य सिक्योरिटीज की सूची में बदलाव करने का विवेकाधिकार होगा। इसके अलावा, यदि भारतीय रिज़र्व बैंक या कोई अन्य सरकारी प्राधिकरण अधिक मार्जिन निर्धारित करता है, तो वह अपने-आप और तुरंत लागू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उधारकर्ता को मार्जिन बनाए रखने के लिए बिना किसी देरी के अतिरिक्त सिक्योरिटीज देनी होंगी।
18.	**फीस और अन्य शुल्कों की अनुसूची (शेड्यूल)**	नीचे बताई गई फीस और शुल्क, जो आवेदन के समय/लोन की अवधि के दौरान लागू होते हैं, ऋणदाता की आंतरिक नीति के अनुसार उसके निर्णय पर समय-समय पर बदले जा सकते हैं। ऐसे किसी भी बदलाव की सूचना ऋणदाता अपनी वेबसाइट www.piramalfinance.com, अपनी ब्रांचों या ऐसे किसी अन्य माध्यम से देगा, जिसे वह उचित समझे। लागू प्रोसेसिंग फीस, लियन मार्किंग शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी शुल्क पहली निकासी (ड्रॉडाउन) की राशि में से काटे जाएंगे। यदि कोई राशि नहीं निकाली जाती है, तो ये शुल्क उधारकर्ता को मैच्युरिटी की तारीख पर चुकाने होंगे और

			सिक्योरिटीज पर दर्ज लियन/चार्ज ऐसे शुल्कों के भुगतान के बाद ही हटाया जाएगा।
	(i)	**प्रोसेसिंग फीस**	रु. [●]/- + लागू टैक्स सहित,
	(ii)	**दंडात्मक शुल्क**	1. **ओवरड्यू राशि पर, उसके ओवरड्यू होने की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 24% प्रति वर्ष, यानी 2% प्रति माह दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा।** 2. **उधारकर्ता द्वारा नीचे बताए गए नियमों और शर्तों में से किसी का भी पालन न किए जाने पर, बकाया राशि पर 24% प्रति वर्ष, यानी 2% प्रति माह दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क पालन न किए जाने की तारीख से लेकर ऋणदाता की संतुष्टि के अनुसार उसका समाधान होने तक लागू रहेगा।** **<u>निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन न किए जाने पर दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा:</u>** ● एग्रीमेंट में दी गई देय तारीख को या उससे पहले बकाया राशि, पूरी देय किस्त या एग्रीमेंट के तहत किसी अन्य देय राशि का भुगतान न करना या भुगतान में डिफॉल्ट करना। ● एग्रीमेंट या ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार तय समय सीमा या बढ़ाई गई समय सीमा के भीतर सिक्योरिटी क्रिएट न करना। ● ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स में तय समय के भीतर मार्जिन बनाए रखने या मार्जिन कॉल पूरा करने में विफल रहना। ● लोन एप्लीकेशन में उधारकर्ता/गिरवीकर्ता द्वारा दी गई किसी जानकारी, ऋणदाता को दी गई वित्तीय जानकारी और/या वित्तीय सहायता के लिए ऋणदाता को दिए गए किसी अन्य दस्तावेज़/सर्टिफिकेट/रसीद/स्टेटमेंट में दी गई जानकारी का भ्रामक या गलत पाया जाना। ● यदि उधारकर्ता लोन राशि या उसके किसी हिस्से का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करता है, जिसके लिए लोन स्वीकृत किया गया था; या जिस उद्देश्य के लिए लोन लिया गया था वह गैर-कानूनी हो जाता है; या राशि का उपयोग समय-समय पर ऋणदाता द्वारा प्रतिबंधित किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। ● एग्रीमेंट के तहत दिए गए किसी भुगतान निर्देश का डिशॉनर होना / उधारकर्ता द्वारा एग्रीमेंट के तहत किसी भुगतान माध्यम से भुगतान रोकने का निर्देश देना / ऋणदाता को किसी NACH मैंडेट को प्रस्तुत न करने का निर्देश देना या NACH मैंडेट रद्द करना। ● उधारकर्ता/गिरवीकर्ता द्वारा ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स की शर्तों के तहत ऋणदाता की किसी मांग पर आवश्यक दस्तावेज़ और/या जानकारी जमा करने में विफल रहना। ● लोन एप्लीकेशन के समय दिए गए पते, रोजगार या अन्य जानकारी में बदलाव होने पर, बदलाव के 30 दिनों के भीतर अपडेटेड KYC दस्तावेज़ जमा न करना। इसमें

		पते, रोजगार या अन्य जानकारी में बदलाव शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। • यदि सिक्योरिटी या उसके किसी हिस्से का निपटान किया जाता है, उसे उपहार में दिया जाता है या उसके मूल्य में कमी आती है और उधारकर्ता/गिरवीकर्ता सिक्योरिटी कवर बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सिक्योरिटी देने में विफल रहता है; या ऋणदाता द्वारा निर्धारित अनुसार सिक्योरिटी या उसके किसी हिस्से पर कोई कुर्की या जब्ती की कार्रवाई की जाती है; या दिया गया सिक्योरिटी इंटरेस्ट लागू करने योग्य नहीं रहता है।
	(iii) NACH / चेक बाउंस शुल्क	रु. 500/- + GST
	(iv) लियन और गिरवी बनाने / इनवोक करने / रिवोक करने के शुल्क	वास्तविक खर्च के अनुसार + लागू टैक्स
	(v) ब्रोकरेज शुल्क	वास्तविक खर्च के अनुसार + लागू टैक्स (सिक्योरिटीज की बिक्री होने की स्थिति में ब्रोकरेज शुल्क डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा काटा जाएगा।)
	(vi) कोई भी कानूनी खर्च / शुल्क	वास्तविक खर्च के अनुसार + लागू टैक्स
	(vii) रिकवरी से संबंधित शुल्क	वास्तविक खर्च के अनुसार + लागू टैक्स
	(viii) स्टाम्प ड्यूटी / फ्रैंकिंग शुल्क	वास्तविक खर्च के अनुसार + लागू टैक्स
	(ix) वैधानिक शुल्क (यदि लागू हो)	वास्तविक खर्च के अनुसार + लागू टैक्स
19.	**न्यायक्षेत्र, मध्यस्थता की सीट और स्थान**	मध्यस्थता की सीट या स्थान और अदालत का न्यायक्षेत्र दिल्ली होगा, जहाँ इस एग्रीमेंट का निष्पादन किया गया है, जैसा कि नीचे बताया गया है।
20.	**ग्राहक सेवा:**	उधारकर्ता हमारी कंपनी की वेबसाइट पर दिए गए टोल-फ्री नंबर के माध्यम से, customerservice.pel@piramal.com पर ईमेल भेजकर या ब्रांच ऑपरेशनल मैनेजर से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता/सकती है। शिकायत प्राप्त होते ही उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा।
21.	**शिकायत निवारण:**	उधारकर्ता अपनी सभी शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए ऋणदाता से संपर्क करेगा। • उधारकर्ता हमारी कंपनी की वेबसाइट पर दिए गए टोल-फ्री नंबर के माध्यम से, customerservice.pel@piramal.com पर ईमेल भेजकर या ब्रांच ऑपरेशनल मैनेजर से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता/सकती है। शिकायत प्राप्त होते ही उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा।

		• यदि उधारकर्ता दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है या उसकी समस्या का 15 दिनों के भीतर समाधान नहीं होता है, तो वह grievances@piramal.com पर हमें लिखकर अपनी शिकायत को आगे बढ़ा सकता/सकती है। • यदि उधारकर्ता लेवल 2 पर दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है या उसकी समस्या का 15 दिनों के भीतर समाधान नहीं होता है, तो वह अपनी शिकायत निम्नलिखित अधिकारी के पास आगे बढ़ा सकता/सकती है: **नोडल ऑफिसर –** सुश्री हेतल परिहार: पहली मंज़िल, अमिती बिल्डिंग, , पीरामल कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र – 400070 **ईमेल:** nodal.officer@piramal.com **संपर्क नंबर:** 022-71740555 • यदि ऊपर बताए गए स्तरों पर शिकायत का 30 दिनों के भीतर ग्राहक की संतुष्टि के अनुसार समाधान नहीं होता है, तो उधारकर्ता दिए गए लिंक https://cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके RBI CMS पोर्टल से संपर्क कर सकता/सकती है या नीचे दिए गए पते पर लिख सकता/सकती है: केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र, भारतीय रिज़र्व बैंक, चौथी मंज़िल, सेक्टर 17, चंडीगढ़ – 160017, टोल-फ्री नंबर: 14448
21	**शिकायत निवारण अधिकारी**	**नाम:** सुश्री हेतल परिहार **पद:** नोडल ऑफिसर **पता:** पहली मंज़िल, अमिती बिल्डिंग, पीरामल कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र – 400070 **फोन नंबर:** 022-71740555 **ईमेल आईडी:** nodal.officer@piramal.com

अन्य नियम और शर्तें

a) यह सैंक्शन लेटर लोन एप्लीकेशन के समय उधारकर्ता द्वारा जमा किए गए दस्तावेज़ों और जानकारी के आधार पर जारी किया गया है। यदि लोन के डिस्बर्समेंट से पहले किसी भी चरण पर कोई विसंगति या गलत जानकारी/गलत प्रस्तुतीकरण पाया जाता है, तो ऋणदाता को इस सैंक्शन लेटर में बदलाव करने या इसे वापस लेने का अधिकार होगा।

b) यह सैंक्शन लेटर केवल एक ऑफर लेटर होगा और निम्नलिखित स्थितियों में संशोधित माना जाएगा या वापस लिया हुआ और रद्द माना जाएगा: जिस प्रस्ताव के लिए फ्लेक्सी लोन स्वीकृत किया गया है उसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने पर; या ऐसी कोई घटना होने पर जो ऋणदाता की एकमात्र राय में उसके हितों के प्रतिकूल हो या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति अथवा लोन के तहत अपने दायित्व पूरे करने की उसकी/उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकती हो; या दी गई कोई जानकारी अथवा किया गया कोई प्रस्तुतीकरण गलत या असत्य पाया जाए या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया हो; या इस ऑफर की वैधता अवधि समाप्त हो जाए, जब तक कि हमारे द्वारा इसे लिखित रूप से आगे न बढ़ाया गया हो।

c) यह स्वीकृति पूरी तरह ऋणदाता के विवेकाधिकार के अधीन है। ऋणदाता कोई कारण बताए बिना और पूर्व लिखित सूचना देकर इसे आंशिक या पूर्ण रूप से वापस ले सकता है या उपलब्ध फ्लेक्सी लोन से निकासी (ड्रॉडाउन) को किसी भी समय रोक सकता है, जैसा वह उचित समझे। इसमें ऐसी स्थिति भी शामिल है जहाँ कोई आवश्यक पूर्व-शर्त पूरी नहीं की गई हो। इस सैंक्शन लेटर के अतिरिक्त, फ्लेक्सी लोन ऋणदाता और उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के बीच किए गए लोन एग्रीमेंट के अनुसार संचालित होगा।

d) फ्लेक्सी लोन के वास्तविक डिस्बर्समेंट के समय ऋणदाता की आवश्यकता के अनुसार उधारकर्ता को कुछ अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज़ देने पड़ सकते हैं।

e) स्वीकृत राशि का वास्तविक डिस्बर्समेंट उधारकर्ता द्वारा आवश्यक लोन एग्रीमेंट, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स के निष्पादन के अधीन होगा। उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच इस संबंध से जुड़े सभी उद्देश्यों के लिए ये दस्तावेज़ अंतिम और बाध्यकारी होंगे तथा इस संबंध से जुड़े अन्य दस्तावेज़ों पर प्राथमिकता रखेंगे।

f) यह स्वीकृति किसी भी व्यक्ति को फ्लेक्सी लोन की राशि के डिस्बर्समेंट की मांग करने का अधिकार नहीं देती है। किसी भी कारण से फ्लेक्सी लोन का डिस्बर्समेंट न होने पर कोई भी व्यक्ति ऋणदाता से हर्जाने की मांग करने का हकदार नहीं होगा।

g) मार्जिन की आवश्यकता, ब्याज दर और अन्य नियम एवं शर्तें RBI/ऋणदाता द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने के अनुसार बदली जा सकती हैं।

h) प्रत्येक लोन की ब्याज दर ग्राहक की प्रोफाइल, लोन की अवधि, लोन के प्रकार, सिक्योरिटी के मूल्य आदि विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। ब्याज दर का स्तर क्रेडिट ब्यूरो स्कोर, आय आदि जैसे कारकों के आधार पर तय किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.piramalfinance.com देखें।

i) यदि सैंक्शन लेटर और लोन एग्रीमेंट के बीच कोई विरोधाभास होता है, तो उस विरोधाभास की सीमा तक लोन एग्रीमेंट प्रभावी माना जाएगा।

j) उधारकर्ता पुष्टि करता है कि उसने फ्लेक्सी लोन स्वीकृत करने वाले इस सैंक्शन लेटर में अंग्रेज़ी में दिए गए नियमों और शर्तों को समझ लिया है / इस पत्र में दिए गए नियमों और शर्तों को उधारकर्ता को उसकी समझ की भाषा/स्थानीय भाषा में समझाया गया है और उधारकर्ता ऊपर बताए गए नियमों और शर्तों पर फ्लेक्सी लोन स्वीकार करता है।

k) उधारकर्ता यह वचन देता है कि वह ऋणदाता की आवश्यकता या लागू कानूनों के अनुसार, जहाँ लागू हो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स (RTAs) के साथ एप्लीकेशन/अनुरोध पर हस्ताक्षर करने या उन्हें वैलिडेट करने सहित सभी आवश्यक कार्य करेगा, ताकि सिक्योरिटीज पर ऋणदाता के पक्ष में गिरवी बनाने की प्रक्रिया को प्रभावी किया जा सके।

l) यदि लोन एप्लीकेशन अस्वीकार होने, वापस लिए जाने या किसी भी कारण से स्वीकृत न होने के कारण रद्द हो जाती है (जिसे आगे "कैंसलेशन इवेंट" कहा गया है), तो ऋणदाता सभी लागू शुल्कों की वसूली के अधीन सिक्योरिटी को रिलीज़ या गिरवी से मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इन शुल्कों में रिलीज़/गिरवी से मुक्त करने के शुल्क और उधारकर्ता द्वारा देय अन्य सभी राशियाँ शामिल हैं। यह प्रक्रिया लागू कानून के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर या ऐसी समय सीमा निर्धारित न होने पर, कैंसलेशन इवेंट की तारीख से 30 (तीस) दिनों से अधिक न होने वाली उचित अवधि के भीतर शुरू की जाएगी। ऐसे शुल्कों/देय राशियों का

भुगतान न होने पर, ऋणदाता को बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक संख्या में गिरवी रखी गई सिक्योरिटीज को इनवोक करने और/या बेचने का अधिकार होगा।

m) लोन के आंशिक प्रीपेमेंट, पूरे रीपेमेंट या फोरक्लोज़र/प्रीपेमेंट (इनमें से प्रत्येक को "पात्र घटना" कहा गया है) की स्थिति में, उधारकर्ता के अनुरोध पर ऋणदाता, लोन डॉक्यूमेंट्स में दी गई सभी शर्तों और दायित्वों को पूरा किए जाने के अधीन, सिक्योरिटी को रिलीज़ या गिरवी से मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसमें लागू रिलीज़/गिरवी से मुक्त करने के शुल्क का भुगतान और निर्धारित मार्जिन/लोन-टू-वैल्यू आवश्यकताओं का पालन करना, जहाँ लागू हो, शामिल है। यह प्रक्रिया लागू कानून के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर या ऐसी समय सीमा निर्धारित न होने पर, सभी शर्तें पूरी होने की तारीख से 30 (तीस) दिनों से अधिक न होने वाली उचित अवधि के भीतर शुरू की जाएगी। उपरोक्त के बावजूद, यदि डिफॉल्ट की कोई घटना बनी हुई है या कोई कानूनी, नियामक या वैधानिक प्रतिबंध ऐसी रिलीज़ को रोकता है, तो ऋणदाता गिरवी रखी गई सिक्योरिटीज को रिलीज़ या गिरवी से मुक्त करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

n) उधारकर्ता यह भी पुष्टि करता है कि उसे फ्लेक्सी लोन पर लागू ऊपर बताए गए शुल्कों की जानकारी है और उसने इन्हें समझ लिया है। साथ ही, उसने जोखिम के अलग-अलग स्तर तय करने के ऋणदाता के तरीके और अलग-अलग श्रेणियों के उधारकर्ताओं पर अलग-अलग ब्याज दरें लागू करने के आधार को भी समझ लिया है। उधारकर्ता ने ऋणदाता की वेबसाइट पर प्रकाशित अन्य नीतियों को भी समझ लिया है। लिंक: www.piramalfinance.com